15

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019–20/21 दिनांकः– 10/08/2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा)।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषयः– आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाने बाबत प्राप्त आवेदनों की/सूचना भिजवाने के संबंध में।
प्रसंगः– समसंख्यक पत्रांक–19 दिनांक 01.08.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर शिक्षक दिवस **(05 सितम्बर)** के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के **तीन–तीन** संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाने है।

जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरान्त आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2020 है। संस्था प्रधानों से प्राप्त आवेदन पत्रों मे से उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में से वरियता वाले प्रथम तीन आदर्श एवं प्रथम तीन उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदेन पत्रों को निदेशालय को भिजवाये जाने से पूर्व निर्देशानुसार यह सुनिश्चित कर लेवें कि–

1. संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा समुचित अनुशंसा की गई है।
2. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा–मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा–कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण–पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि संलग्न किए गए है।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यो, विवरणों आदि का सत्यापन जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स द्वारा कर लिया गया है तथा आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान किये गये हैं।
4. संस्था प्रधान के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हैं।
5. एक बार प्रशंसा पत्र प्राप्त विद्यालय द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया गया है।
6. प्रासंगिक पत्र के शेष अन्य दिशा–निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित कर ली गई है।
7. आवेदनों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धियों का जिला कलक्टर की अध्क्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के पश्चात् ही आवेदनों को निर्धारित अवधि तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अपूर्ण आवेदन पत्र भिजवाए जाने पर आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।

नोट :– 1.उपयुक्त आवेदन निदेशालय को भिजवाते समय समस्त सीडीईओ संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक अपने संभाग क्षेत्राधिकार के समस्त सीडीईओ कार्यालयों से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के आवेदन पत्रों को पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राप्त कर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर स्थित आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

3. साथ ही समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक अपने संभाग क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों के सीडीईओ कार्यालयों में आदिनांक तक प्राप्त आवेदनों की सूचना निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. –dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करें, तत्पश्चात् निर्धारित अंतिम तिथि 13.08.2020 तक उक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आवेदनों की सूचना भी तैयार कर प्रतिदिन उक्त ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

15

क्र.सं.	दिनांक	संभाग	जिला	आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या	उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या	योग (5+6)
01	02	03	04	05	06	07

कार्यालय :– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, ...

:: प्रमाण पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय को भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्रों की जांच कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक– शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार /61067/2019–20 /19 दिनांकः–01.08.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कर ली गई है, आवेदन पत्रों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धियों का भौतिक सत्यापन जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा कर लिया गया है। प्रेषित आवेदन से संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लम्बित नहीं है/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है। प्रेषित आवेदन पत्रों में अंकित विद्यालयों को पूर्व में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर प्रशंसा–पत्र प्रदान/सम्मानित नहीं किया गया है।